झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना

एस0 ओ0................ राँची, दिनांक.............

'मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना।'

झारखण्ड राज्य से रोजगार की खोज में कई श्रमिक/व्यक्ति विदेशों में जाते हैं। जिन प्रवासी श्रमिकों/व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु, दुर्घटना अथवा अन्य कारणों से विदेशों में हो जाती है उनके आश्रित/परिवार की आर्थिक सहायता प्रावधान के अभाव में राज्य सरकार नहीं कर पाती है। अतः विदेशों में कार्यरत वैसे झारखण्ड निवासी भारतीय श्रमिक/व्यक्ति की असामयिक मृत्यु के उपरांत उनके परिवार को तत्काल एकमुश्त सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता निरंतर महसूस की जाती रही है।

अतएव, वैसे श्रमिकों/व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु के उपरांत उनके परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से **"मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना"** बनाई गई है।

2. **"मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना"** के अन्तर्गत विदेश में प्रवास के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर निम्नांकित शर्तों के अधीन एकमुश्त रुपये 5,00,000/–(पाँच लाख रुपये) का भुगतान उनके आश्रित को संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा किया जाएगा :–

I मृत श्रमिक/व्यक्ति भारत का नागरिक हो तथा वह झारखण्ड का निवासी हो;

II ''अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक/व्यक्ति'' से अभिप्रेत है, कि जो व्यक्ति विधिवत् जीविकोपार्जन हेतु भारत से बाहर गया हो तथा आश्रित/परिवार की वार्षिक आय रु 72,000/–(रु बहत्तर हजार मात्र) से कम हो तथा तत्संबंधी आय प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो।

III सम्बंधित प्रवासी श्रमिक/व्यक्ति 18–65 वर्ष की आयु वर्ग में आता हो;

IV ''आश्रित/परिवार'' से अभिप्रेत है मृतक श्रमिक/व्यक्ति की विधवा, महिला श्रमिक/व्यक्ति के मामले में पति, पति/पत्नी के जीवित नहीं रहने की स्थिति में, आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री माता–पिता, मृतक अविवाहित श्रमिक/व्यक्ति होने की स्थिति में माता–पिता संयुक्त रुप से।

V ''असामयिक मृत्यु का प्रमाणन'' से अभिप्रेत है, भारत से अन्य देशों में जीविकोपार्जन हेतु विधिवत् रुप से गये हुए श्रमिक/व्यक्ति जहां उनकी असामयिक मृत्यु के उपरांत मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य तथ्यों के आधार पर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित/सम्पुष्टीकरण।

VI ''असामयिक मृत्यु'' से अभिप्रेत है, बाह्य हिंसा के कारण दुर्घटना या अन्य दृश्यमान् प्रकृति का हो और इसमें शामिल हैं :–

ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शघात, साँप काटना, पानी में डूबना, आग, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा अपराधिक आक्रमण आदि/जो भी हो, यह सूची व्याख्यात्मक है, परन्तु अंतिम नहीं है।

परन्तु, स्वेच्छा से लगायी गयी चोट या आत्मदाह या मादक द्रव्यों या पदार्थ के सेवन के प्रभाव से हुई दुर्घटना या अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करने के क्रम में हुई मृत्यु इसमें शामिल नहीं है।

यह योजना परमाणु विकिरण तथा युद्ध के कारण मृत्यु के मामलों में भी लागू होगी।

3. विदेश में कार्य पर गए श्रमिक / व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरान्त विहित प्रपत्र परिशिष्ट 'क' में आश्रित अथवा दावेदार द्वारा अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकेगा। संबंधित आवेदन में वर्णित सभी कागजातों के साथ पूर्णरुप से भरा गया आवेदन तीन प्रतियों में संबंधित जिला के उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
4. राज्य स्तर पर श्रमायुक्त इस योजना के प्रभारी पदाधिकारी होंगे। दावा भुगतान अथवा अस्वीकृत करने अर्थात् दोनों ही स्थितियों में इसकी सूचना श्रमायुक्त, झारखण्ड को उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।
5. योजना के क्रियान्वयन हेतु आय–व्यय शीर्ष अन्तर्गत राशि का उपबंध योजना–सह–वित्त विभाग के द्वारा बजटीय उपबंध से किया जाएगा।
6. राशि की निकासी संबंधित उपायुक्त द्वारा मुख्य शीर्ष–2230–श्रम एवं रोजगार, उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम, लघुशीर्ष–111–श्रमिकों की समाजिक सुरक्षा, उप शीर्ष–43– मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना, विस्तृत शीर्ष 06 अनुदान 49–आर्थिक सहायता से की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

31/x/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–01 / श्रमा0का0 / अ0प्र0श्र0अ0यो0 / 09 / 2018 श्र0नि0–1911 राँची, दिनांक–30.10.19

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, डोरन्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

31/x/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–01 / श्रमा0का0 / अ0प्र0श्र0अ0यो0 / 09 / 2018 श्र0नि0–1911 राँची, दिनांक–30.10.19

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / विभागाध्यक्ष / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव / सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, झारखण्ड, राँची / विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/x/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–01 / श्रमा0का0 / अ0प्र0श्र0अ0यो0 / 09 / 2018 श्र0नि0–1911 राँची, दिनांक–30.10.19

प्रतिलिपिः–महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/x/19

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
परिशिष्ट–'क'

मुख्यमंत्री झारखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी अनुदान योजना के अन्तर्गत विदेशों में असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में सहायता हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र:
(तीन प्रतियों में संबंधित जिला के उपायुक्त को समर्पित किया जाएगा)

1. (क) मृत प्रवासी का नाम –
   (ख) मृत प्रवासी की पासपोर्ट संख्या –
2. (क) आश्रित / दावेदार का नाम –
   (ख) आश्रित / दावेदार के पिता का नाम –
   (ग) मृतक / मृतका से संबंध –
   (घ) आयु –
   (ङ) आधार नम्बर –
   (च) बैंक खाता संख्या.................................बैंक का नाम.................................
   शाखा का नाम.................................बैंक का IFSC कोड.................................
   (छ) मोबाईल संख्या(यदि हो तो).................................
   (ज) पता–गाँव / मुहल्ला.................................
   पोस्ट.................................पंचायत / वार्ड.................................
   थाना.................................अंचल / प्रखण्ड.................................
   जिला.................................पिन कोड.................................

मृत्यु की विवरणी.................................

मृत्यु का स्थान ....

मृत्यु की तिथि.................................

दस्तावेज: इस आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:

(I) मृत्यु से संबंधित विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमाणन पत्र
(II) मृत्यु प्रमाण पत्र
(III) FIR की प्रति / पोस्टमार्टम रिर्पोट(यदि कोई हो)
(IV) मृत प्रवासी का पासपोर्ट तथा वीजा की छाया प्रति
(V) आश्रित का आय प्रमाण पत्र
(VI) मृत प्रवासी का झारखण्ड राज्य में निवास का प्रमाण पत्र
(VII) आश्रित / दावेदार का दो स्व–अभिप्रमाणित फोटो

त :–

आश्रित / दावेदार का हस्ताक्षर